

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 हेतु

सुझाव

Add label



vishwajeet singh anant 1:42 pm

to jpcwaqf-lss ✓



सेवा में,
जॉइंट कमिटी सचिव

महोदय,

भारत के वक्फ बोर्ड के विषय में मेरा सुझाव यह है-

भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है, मुसलमानों को उनके हिस्से की भूमि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में दी जा चुकी है। आज उन दोनों देशों में हिन्दुओं की संपत्ति की सुरक्षा व रख रखाव के लिए हिन्दू संपत्ति सुरक्षा बोर्ड का कोई प्रावधान नहीं है, तो किस आधार पर भारत में मुसलमानों के लिए ऐसा बोर्ड बनाया गया है?

वक्फ बोर्ड को किस संवैधानिक अधिकार के तहत इतनी शक्तियाँ दी गई है?

कितने मुस्लिम राष्ट्रों में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था आज मौजूद है?

आये दिन वक्फ बोर्ड भारत में हिन्दुओं की संपत्ति पर, हिन्दुओं के गांव पर और हिन्दू मन्दिरों पर अपना दावा ठोकता है, ये किस तरह उचित है ! क्या यह हिन्दुओं पर अत्याचार और अन्याय नहीं है ?

जिन संपत्तियों पर वक्फ ने कब्जा कर रखा है, जांच हो कि वह कौन लोग हैं, जिन्होंने यह संपत्तियां दान की हैं और क्यों की हैं ?

भारत विभाजन के बाद 9.40 लाख एकड़ जमीन दान के लिए कहाँ से आ गई मुस्लिमों के पास ?

वक्फ बोर्ड के पास भारतीय भूमि का कितना प्रतिशत कब्जा है? क्या इस कब्जे की कोई सीमा तय है?

हिंदू मंदिरों की भाँति वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है?

भारतीय नागरिक होने के नाते हम आपसे निवेदन करते है कि- इस तुष्टिकरण को रोकिए। वक्फ बोर्ड को संशोधित करने के स्थान पर वक्फ बोर्ड को समाप्त कीजिए। वक्फ बोर्ड की भूमि व संशोधनों का सरकारीकरण कीजिए, और उसपर कब्जा लेकर सरकारी विभागों को दीजिए। वक्फ बोर्ड की भूमि का कुछ भाग जरूरतमंद भूमिहीन गरीबों में भी वितरित कीजिए।

भवदीय

विश्वजीत सिंह अनंत

राष्ट्रीय अध्यक्ष

राष्ट्रीय सनातन पार्टी

फोन नंबर 9412458954